2020/88(1)

...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
40/20	88, 188 RTA	कडैयोकला	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
केसरबाई	बनाम	सरकार

वकील :- रामेश्वर गोयल **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
6/7/20	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/8/20 को पेश हो।	
5/8/20	कोरोना संक्रमण ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के~~ कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 7/9/20 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
7/9/20	कोरोना संक्रमण आज ~~पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त~~ होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 29/9/20 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
29/9/20	कोरोना संक्रमण ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 21/10/20 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	वि
21/10/20	~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 18/11/20 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
18/11/20	कोरोना संक्रमण ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 15/12/20 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
15/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। सरकार पैरोकार तहसीलदार उपस्थित। जवाब/रिपोर्ट पेश करने हेतु समय चाहा है वास्ते जवाब/रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 6/01/21 को पेश हो।	
6/01/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। सरकार पैरोकार तहसीलदार उपस्थित। जवाब/रिपोर्ट पेश करने हेतु समय चाहा है। वास्ते जवाब/रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 10/2/21 को पेश हो।	
10/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र O23 Rule 1 धारा 151 CPC पेश किया जिसमें प्रकरण/वादपत्र को विड्रॉल करना चाहते हैं। आगे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील प्रार्थी ~~द्वारा अपील~~ को एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने कथन में बताया कि प्रतिवादी ने दौराने वाद चाहे गये अनुतोष को डिफीट देने के उद्देश्य से विवादित आराजी का एकपक्षीय	

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
गैर विधि सम्मत इंतकाल संख्या 1613 बाके कूटरचित निर्मित कर आराजी खातेदारी में दर्ज दर्ज कराली। इस हालात में वादी गण द्वारा वाद पत्र के माध्यम से चाहे गये अनुतोष में वादीगण को इंतकाल नं 1613 को खारिज कराना नितांत आवश्यक है। वादीगण इस वाद पत्र को विड्रोल कर इंतकाल अपील पेश करना चाहता है इंतकाल खारिज होने के पश्चात वादीगण खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद करेंगे। अत: श्रीमान से निवेदन है कि वाद विड्रोल करने की आज्ञा प्रदान करें।	
वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी के कथनानुसार सम्बन्धित वादपत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि का इंतकाल अवैध रूप से ~~हुए~~ तस्दीक होने का कारण स्पष्ट किया गया है तथा इंतकाल की अपील पेश कर अनुतोष बाद, ~~वाद~~ दायर करने हेतु अनुमति चाही है। न्यायहित में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र O23 Rule1 धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	